

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

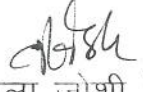
क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/18088-98

दिनांक:-18 दिसम्बर 2013

शुद्धि -पत्र

विभाग के आदेश संख्या 321/2013-14 दिनांक 13.12.2013 के क्रम संख्या 3 पर अंकित श्री दीप सिंह पुत्र श्री हरिसिंह के नाम के सामने अंकित कालम संख्या 8 में कोषालय डूंगरपुर के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग वृत्त, चण्डीगढ़ पढ़ा जावे ।

श्री दीपसिंह की नियुक्ति से सम्बन्धित अन्य शर्तें आदेश संख्या 321/2013-14 दिनांक 13.12.2013 के अनुसार रहेगी ।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

कोष एवं लेखा विभाग
दिनांक:-18 दिसम्बर 2013

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/18088-98

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर
2. अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन विभाग वृत्त चण्डीगढ़
3. कोषाधिकारी डूंगरपुर
4. श्री दीप सिंह पुत्र श्री हरिसिंह मकान नम्बर 544, वार्ड नम्बर 11 नजदीक टीला मन्दिर पुरानी आबादी श्रीगंगानगर
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. व्यक्तिगत पंजिका।
8. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)